जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

Ref.No - BRLPS/Project/497/14/569 Date - 29.05.2015

कार्यालय आदेश

(सामुदायिक संगठनों के स्तर पर पूंजी की गतिशीलता (Fund Rotation) के विभिन्न आयामों को बढ़ाने एवं इस हेतु सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों का निर्माण किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के अलावा उनके उच्चतर संगठनों (ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन) का भी निर्माण किया गया है। इन उच्चतर संगठनों में **पूंजी की गतिशीलता (Fund Rotation)** को बढ़ाने पर जोर देने की जरुरत महसूस की गयी है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला परियोजना प्रबंधकों एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधकों को निम्नलिखित कार्य को क्रियान्वित करने हेतु निदेश दिये जाते हैः

(क) संकुल स्तरीय संगठनों की विशेष बैठक पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने हेतु 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करवाना। प्रखंड परियोजना प्रबंधक की उपस्थिति उस बैठक में अनिवार्य होगी। संबंधित बैठक में पूंजी की गतिशीलता एवं उसके महत्व पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। संकुल संगठन द्वारा टीम का गठन करना उचित होगा जो विभिन्न ग्राम संगठनों में जाकर ऋण वापसी एवं पूंजी गतिशीलता को बढ़ाने हेतु सहयोग देगी।

(ख) संकुल संगठन की विशेष बैठक के 7 दिनों के अंदर ग्राम संगठन की विशेष बैठक बुलवाना।

(ग) ग्राम संगठन द्वारा समूह स्तर पर पारिवारिक निवेश योजना बनाने हेतु निर्णय।

(घ) ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer) को दैनिक बैठक में पारिवारिक निवेश योजना बनाने का निदेश देना।

(ड.) समूहों द्वारा बतायी गयी पूंजी की जरुरत को संकलित कर आवेदन स्वरुप ग्राम संगठन को प्रेषित करना।

(च) ग्राम संगठन के द्वारा सभी क्रिया–कलापों को दूरसंचार के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को प्रेषित करना।

(छ) समूह को बैंक ऋण वापसी/ग्राम संगठन को ऋण वापसी हेतु प्रेरित करना ताकि वित्तीय अनुशासन बनी रहे।

29/5/15

(ज) ग्राम संगठन की उपसमितियों के माध्यम से सुनिश्चित करना कि पारिवारिक निवेश योजना में सबसे गरीब परिवार को सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

(झ) ग्राम संगठन के द्वारा समूहों की पूंजी जरुरत को संकलित कर पहले अपने पास उपलब्ध संसाधनों से पूर्ति करना एवं बाकी पूंजी हेतु संकुल संगठन को आवेदन प्रेषित करना। साथ ही समूहों को जरुरत के अनुसार बैंक से ऋण लेने हेतु मार्गदर्शन करना एवं ऋण दिलवाने में मदद करना ताकि रोजगार के संसाधनों को विकसित किया जा सके।

उपर्युक्त प्रक्रियाओं को अपनाने से पूंजी की गतिशीलता बढ़ेगी तथा सामुदायिक संगठनों के स्तर पर निर्णय क्षमता का विकास होगा। उपर्युक्त सभी कार्यों को करने में मदद करने हेतु अनुलग्न के रुप में क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रेषित किया जा रहा है।

उपर्युक्त वर्णित सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं तथा क्रियान्वयन करने के लिए अति उपयोगी हैं। **इस कार्य को सुचारु रुप से क्रियान्वयित करने हेतु इस मद में योजना बनाने की जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबंधक की होगी।** समस्त मुद्दों का अनुश्रवण 15 दिनों के अंतराल पर किया जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगें कि इस कार्यालय आदेश की प्रति सभी कर्मियों/संकुल संगठन/ग्राम संगठन के प्रतिनिधि को ससमय उपलब्ध करवा दी गयी है।

29/5/15

(डा0 एन0 विजयलक्ष्मी)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

अनुलग्न : यथोक्त

प्रतिलिपि :

1. OSD/Director/ PS /AO/ FO
2. PCs/SPMs/PMs/SFMs/AFMs
3. All DPMs/DPMs Incharge/All Thematic Managers/YPs
4. All BPMs/BPMs Incharge/All staffs of BPIUs
5. CLFs/ Representatives from different VOs
6. IT Section/Account Section
7. Concerned file.

अनुलग्नक

सामुदायिक संगठनों के स्तर पर पूंजी की गतिशीलता (Fund Rotation) के विभिन्न आयामों को बढ़ाने एवं इस हेतु सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों का निर्माण किया गया है। इन सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन आदि) के माध्यम से सदस्यों का क्षमता वर्धन किया जाता है। तत्पश्चात् इन सामुदायिक संगठनों में परियोजना द्वारा सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund-CIF) के रुप में निवेश किया जाता है। यह देखा गया है कि सामुदायिक संगठनों में पूंजीकरण के उपरांत संागठनिक स्तर पर गतिशीलता आती है तथा निर्णय क्षमता विकसित होती है। साथ ही पूंजीकरण के कारण सदस्यों की विभिन्न तरह की जरुरतों (बीमारी, शादी, रोजगार सृजन, बंधक जमीन वापसी, ऊँची ब्याज दर पर ली गई कर्ज इत्यादि मुद्दों) का समय रहते निराकरण होता है जिससे सदस्य स्तर पर पारस्परिक विश्वास बढ़ता है और वे गरीबी से बाहर निकलने को उत्साहित होते हैं।

यह देखा गया है कि ग्राम संगठन के द्वारा काफी बड़ी राशि संकुल स्तरीय संगठन को वापस की गयी है। चूंकि संकुल स्तरीय संगठन अभी अपने शुरुआती दौर में थी, अतः पूरा ध्यान पूंजी की गतिशीलता (Rotation of Fund) को बढ़ाने के पहले जरुरी महत्वपूर्ण प्रयासों (जैसे कार्यालय स्थापित करना, लेखापाल की नियुक्ति एवं उनका प्रशिक्षण, लेखा पुस्तकों की उपलब्धता एवं रख-रखाव) पर था। पिछले 3-4 महीनों में Fund Rotation को गति देने की कोशिश की गयी है जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इस परिणाम से उत्साहित होकर यह निर्णय लिया गया है कि संकुल स्तरीय संगठन में और भी बौद्धिक निवेश करके उनकी क्षमता विकसित की जाएगी।

उपर्युक्त आशय को ध्यान में रखते हुए जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक को निम्नलिखित क्रियान्वयन की नीति पर कार्य करने हेतु निदेश दिये जाते हैं :

(क) **प्रखंड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय आदेश के 15 दिनों के अंदर विभिन्न संकुल स्तरीय संगठनों की एक विशेष बैठक पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने हेतु आहुत की गयी हो।** जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा इसकी जानकारी ली जाएगी तथा संबंधित जानकारी राज्य इकाई को प्रेषित की जाएगी।

(ख) **प्रखंड परियोजना प्रबंधक संबंधित विभिन्न संकुल स्तरीय संगठनों की बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने के महत्व का संदर्भ सदस्यों के सामने रखेंगे।**

(ग) प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा संकुल स्तरीय संगठन में जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी वे निम्नलिखित हैं :

1. पूंजी की गतिशीलता बढ़ाने की जरुरत एवं महत्व पर चर्चा। यह चर्चा अवश्य होनी चाहिए की पूँजी का प्रवाह अवरुद्ध होने से सदस्यों की रोजगार एवं अन्य जरुरतों की पूर्त्ति ससमय नहीं की जा सकती है।

2. इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि **संकुल स्तरीय आहुत विशेष बैठक के 07 दिनों के अंदर ग्राम संगठन सदस्य समूहों के साथ बैठक करेगी तथा पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने की कार्य-नीति पर ठोस निर्णय लेगी।**

29/5/15

3. पूंजी की गतिशीलता को सदस्यों की जरुरतों से जोड़ते हुए पारिवारिक निवेश योजना (Family Investment Plan- जो कि परियोजना द्वारा निर्धारित माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया का ही एक अंग है) बनाने की जरुरत पर बल देना। **इस कार्य को करने हेतु ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer) को निदेशित किया जा सकता है कि समस्त समूहों के सदस्यों के साथ मिलकर अगले 2-3 सप्ताह में सभी समूहों के सदस्यों का पारिवारिक निवेश योजना तैयार कर लिया जाए एवं उसे समूहवार संकलित कर ग्राम संगठन को सुपुर्द कर दी जाए।**

4. ग्राम संगठन द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है कि **समूह स्तर पर अगले 2-3 सप्ताहों में नियत दिन की बैठक में लेन-देन की प्रक्रिया के बजाए सिर्फ पारिवारिक निवेश योजना तैयार होगी।**

5. ग्राम संगठन सारे समूहों के समेकित पूंजी की जरुरतों का आकलन करेगी। यह ग्राम संगठन की जिम्मेदारी होगी कि **वे पहले अपने यहॉ उपलब्ध पूंजी समूहों को ऋण स्वरुप दें, फिर संकुल स्तरीय संगठन से पूंजी निवेश पाने हेतु आवेदन करें। इसके बावजूद राशि कम पड़ती हो तो समूहों को बैंक के पास ऋण हेतु जाने को प्रेरित करें।**

6. **उपर्युक्त सारे प्रयासों में ग्राम संगठन स्तर पर गठित उपसमितियों के सदस्यों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए।** हरेक समूह के लिए ग्राम संगठन के एक सदस्य को नामित किया जा सकता है ताकि विभिन्न कार्यो को गति देने हेतु उन्हें जिम्मेदारी दी जा सके।

(घ) संकुल स्तरीय संगठन इस हेतु स्पष्ट निर्णय लेगा कि तय कार्यक्रम के अनुसार न सिर्फ ग्राम संगठन कार्य करेंगे अपितु इस दिशा में हुई प्रगति की समुचित जानकारी भी संकुल स्तरीय संगठन को दूरसंचार (फोन) के माध्यम से देंगें। हरेक ग्राम संगठन स्तर पर एक प्रतिनिधि को नामित करने की जरुरत होगी जो विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी संकुल संगठन (संकुल संगठन स्तर पर नामित सदस्य) को देगी।

(ड.) प्रखंड स्तर पर जुड़े सभी परियोजनाकर्मी पहली संकुल स्तर की बैठक में जरुर पहुँचेंगे ताकि वहॉ पर हुई बातचीत के महत्व को समझ सकें तथा अपने क्षेत्र के CLF, VO एवं SHG में इसे क्रियान्वित कर सकें। **प्रखंड परियोजना प्रबंधक पूंजी की गतिशीलता को सुनिश्चित करने हेतु सभी क्षेत्रीय समन्वयक/प्रभारी क्षेत्रीय समन्वयक एवं अन्य परियोजनाकर्मियों की जिम्मेदारी भी संकुलवार तय करेंगे।**

(च) प्रखंड परियोजना प्रबंधक के द्वारा **प्रत्येक ग्राम संगठन के लिए पारिवारिक निवेश योजना की प्रति संकुल स्तरीय संगठन की मीटिंग के दौरान ही उपलब्ध करवा दी जाएगी।** साथ ही आवेदन प्रपत्र की प्रति (समूह द्वारा ग्राम संगठन को आवेदन, ग्राम संगठन द्वारा संकुल स्तरीय संगठन को आवेदन) भी उसी बैठक में सभी ग्राम संगठनों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। **संबंधित आवेदन प्रपत्र की प्रति इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न की जा रही है।**

(छ) **पूंजी की गतिशीलता एवं उसकी ससमय वापसी (दोनों ही सूरत में चाहे ऋण सामुदायिक संगठनों से ली गयी हो या बैंकों से) एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।** ऋण वापसी की स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने हेतु संकुल स्तर की गठित विभिन्न उपसमितियों/कार्यकारिणी सदस्यों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि संगठन के स्थायित्व में किसी भी प्रकार की दिक्कत भविष्य में न महसूस हो।

29/5/15

(ज) **पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने की जरुरत के महत्व पर बल देते हुए बैंकों द्वारा प्रदत Cash Credit Limit (कैश क्रेडिट लिमिट) के अवयवों की चर्चा भी जरुरी होगी।** यह देखा गया है कि कुछ समूह 50 हजार के Cash Credit Limit को गतिशील (rotate) करते हुए साल या दो साल में 1.50 लाख-2 लाख तक की पूंजी बैंक से ऋण स्वरुप ले ली है तथा रोजगार के संसाधनों को विकसित किया है। वहीं कुछ समूह सिर्फ पूंजी वापस कर रहे हैं और सदस्यों की जरुरत रहने पर भी बैंक से पूंजी निकासी नहीं कर रहे हैं।

(झ) विभिन्न ग्राम संगठनों के द्वारा संकलित पारिवारिक निवेश योजना के आधार पर उनके द्वारा संकुल स्तरीय संगठन से ऋण हेतु आवेदन दिया जाएगा।

(ञ) सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संकुल स्तरीय संगठन द्वारा हरेक 4 ग्राम संगठन की जिम्मेदारी 2 सदस्यों की टीम को दी जा सकती है। इस तरह उदाहरण स्वरुप अगर किसी संकुल संगठन के अंतर्गत 40 ग्राम संगठन हैं, तो वर्णित उपर्युक्त संदर्भ में 20 सदस्यों (40/4=10टीम, 10टीम =10*2=20सदस्य) की जरुरत पड़ेगी। इन 20 सदस्यों को पूंजी गतिशीलता से संबंधित सभी आयामों **(ग्राम संगठनों की निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बैठक आहुत करवाना, ग्राम संगठन द्वारा समूह स्तर पर पारिवारिक निवेश योजना बनाने हेतु निर्णय, ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक संगठक (Community Mobilizer) को दैनिक बैठक में पारिवारिक निवेश योजना बनाने का निदेश देना, समूहों द्वारा बतायी गयी पूंजी की जरुरत को संकलित कर आवेदन स्वरुप ग्राम संगठन को प्रेषित करना, ग्राम संगठन के द्वारा सभी किया-कलापों को दूरसंचार के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को प्रेषित करना, समूह को बैंक ऋण वापसी हेतु प्रेरित करना ताकि वित्तीय अनुशासन बनी रहे, ग्राम संगठन की उपसमितियों के माध्यम से सुनिश्चित करना कि पारिवारिक निवेश योजना में सबसे गरीब परिवार को सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित की गयी है, ग्राम संगठन के द्वारा समूहों की पूंजी जरुरत को संकलित कर पहले अपने पास उपलब्ध संसाधनों से पूर्ति करना एवं बाकी पूंजी हेतु संकुल संगठन को आवेदन प्रेषित करना तथा समूहों को जरुरत के अनुसार बैंक से ऋण लेने हेतु मार्ग दर्शन करना एवं ऋण दिलवाने में मदद करना ताकि रोजगार के संसाधनों को विकसित किया जा सके)** की पूरी जिम्मेदारी देकर 10 टीम में विभाजित किया जा सकता है। दो सदस्यीय टीम के द्वारा संबंधित ग्राम संगठनों एवं समूहों का भ्रमण किया जाएगा एवं संकुल स्तरीय संगठन द्वारा लिए गये निर्णय को क्रियान्वित किया जाएगा। संकुल स्तरीय संगठन ऐसी टीम तैयार करेगी जो सक्षम एवं इच्छुक हों तथा विभिन्न ग्राम संगठनों एवं समूहों में भ्रमण करने को तैयार हों। **उपर्युक्त उदाहरण संदर्भ को समझाने हेतु दिया गया है। संकुल स्तरीय संगठन इसमें सामूहिक निर्णय के आधार पर टीम की संरचना में बदलाव कर सकती है।**

(ट) **पूरी प्रक्रिया को व्यवहार में लाने हेतु संबंधित संकुल द्वारा नामित सदस्यों को ग्राम संगठनों एवं समूहों का भ्रमण भी करना होगा।** अतः यह जरुरी होगा कि संकुल स्तरीय संगठन उन्हें यात्रा भत्ता के अलावा 4-6 दिन का मानदेय भी उपलब्ध करवा दे। यह मानदेय 100-200 रुपये प्रतिदिन तक की हो सकती है। **मानदेय देने के साथ-साथ संकुल स्तरीय संगठन को उनके कार्यों के परिणामों की समीक्षा भी करनी जरुरी होगी। संबंधित सदस्यों की टीम 15 दिन में एक बार संकुल स्तरीय संगठन पर एकत्र होंगी तथा किया कलापों की पूरी जानकारी संकुल स्तरीय संगठन को देंगी।** पूरी बैठक को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित करना भी जरुरी होगा। उपर्युक्त खर्चे का वहन संकुल स्तरीय संगठन द्वारा किया जाएगा। **उपर्युक्त संदर्भ मार्गदर्शन के तौर पर है और संकुल संगठन अपनी जरुरत एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव कर सकती है।**

29/5/15

(ठ) **संकुल संगठन द्वारा उपर्युक्त खर्च का वहन करना उपयोगी होगा जो उन्हें भविष्य में भी मददगार साबित होगी।** संकुल संगठन को समय के साथ एक स्वतंत्र इकाई के रुप में कार्य करने हेतु तैयार होना होगा और यह कोशिश उसी कड़ी का एक हिस्सा है। संकुल संगठन को अपनी पूंजी सुरक्षित रखने, ग्राम संगठन स्तर पर वित्तीय अनुशासन बनाने, समूहों की क्रिया-कलापों में बेहतरी लाने एवं सदस्यों की जरुरतों को पूरी करने हेतु समय-समय पर इस तरह की टीम की संरचना करने की जरुरत पड़ सकती है।

(ड) **ग्राम संगठनों के द्वारा संकलित पूंजी की जरुरत आवेदन के रुप में संकुल स्तरीय संगठन को प्रेषित की जाएगी। संकुल स्तरीय संगठन अभी तक संबंधित विभिन्न ग्राम संगठनों द्वारा की गयी रकम वापसी का आकलन करेगा।** संकुल स्तरीय संगठन द्वारा हरेक ग्राम संगठन द्वारा वापस की गयी राशि की विवरणी तैयार की जाएगी। आवेदन के सापेक्ष में वापस की गयी राशि का आकलन करके, समय पर वापसी करने वाले ग्राम संगठनों को 90% तक की राशि (अभी तक वापस की गयी राशि का 90% तक) ऋण के रुप में उपलब्ध करवायी जा सकती है (अगर ग्राम संगठन की जरुरत हो एवं इस हेतु ग्राम संगठन ने संकुल संगठन को आवेदन प्रेषित किया हो)। किन्ही कारणवश संकुल स्तरीय संगठन में देर से ऋण वापस करने वाले ग्राम संगठनों को वापस की गयी राशि का 80% तक (संबंधित ग्राम संगठन द्वारा अभी तक वापस की गयी राशि का 80% तक) ऋण के रुप में भुगतान किया जा सकता है। उपर्युक्त मार्गदर्शन का तथ्य इस बात पर आधारित है कि जितना पैसा किसी सामुदायिक संगठन ने समय पर लौटाया है, कम से कम उतनी रकम तक तो उसे ऋण के रुप में फिर से ऋण वापसी के शर्त्तो के साथ उपलब्ध करवायी जा सकती है। कुछ व्यावहारिक कारणों से देर से ऋण वापसी करने वाले ग्राम संगठनों को और बेहतर करने हेतु प्रेरित करने के लिए 80% तक की ही राशि ऋण के रुप में वितरित करने का मार्ग बताया गया है। इस पूरी प्रक्रिया से सामुदायिक संगठन स्तर पर काफी गतिशीलता आएगी तथा बेहतर प्रबंधन हेतु निर्णय क्षमता का विकास होगा। **ऐसे ग्राम संगठन जो नये हैं और हाल में ही संकुल संगठन से जुड़े हैं, उन्हें भी जरुरत एवं आकलन के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है।**

उपर्युक्त तथ्य को एक उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करना सामुदायिक संगठनों के लिए श्रेयष्कर होगा। उदाहरण के तौर पर मान लें कि भारत संकुल स्तरीय संगठन के साथ 6 ग्राम संगठन हैं। भारत CLF के पास 20 लाख रुपये की राशि नकद शेष एवं बैंक शेष के रुप में है। यह राशि विभिन्न सदस्य ग्राम संगठनों के द्वारा ICF की ऋण वापसी के तौर पर की गयी है। विभिन्न ग्राम संगठनों द्वारा वापस की गयी राशि (मूलधन + ब्याज) निम्नलिखित है :

1. गंगा ग्राम संगठन : 5 लाख रुपये
2. अली ग्राम संगठन : 6 लाख रुपये
3. लिलि ग्राम संगठन : 3 लाख रुपये
4. सूरज ग्राम संगठन : 2 लाख रुपये
5. गोविंद ग्राम संगठन : 4 लाख रुपये
6. विकास ग्राम संगठनः कोई भी रकम वापस नहीं की गयी है।

कुल वापस की गयी राशि : 20लाख रुपये

29/5/15

उपर्युक्त/पूर्व वर्णित उदाहरण में एक बात स्पष्ट करना उचित होगा कि कं0 संख्या 1 से 4 तक के ग्राम संगठन (गंगा, अली, लिलि तथा सूरज ग्राम संगठन)समय पर पैसा लौटायी है तथा गोविंद ग्राम संगठन कुछ व्यावहारिक कारणों से थोड़े देर से पैसा वापस की है। विकास ग्राम संगठन के द्वारा कोई भी रकम वापस नही की गयी है क्योंकि यह हाल में ही संगठन से जुड़ा है। ऐसे परिस्थिति का आकलन कर निर्णय लेने की जरुरत संकुल स्तर पर होगी।

उपर्युक्त परिस्थितियों के आकलन के आधार पर एवं विभिन्न ग्राम संगठनों द्वारा आवेदन के सापेक्ष में निम्नलिखित रकम तक सभी ग्राम संगठनों को दी जा सकती है :

1. गंगा ग्राम संगठन : 0-4.5 लाख तक (90% तक)
2. अली ग्राम संगठन : 0-5.4 लाख तक (90% तक)
3. लिलि ग्राम संगठन : 0-2.7 लाख तक (90% तक)
4. सूरज ग्राम संगठन : 0-1.8 लाख तक (90% तक)
5. गोविंद ग्राम संगठन : 0-3.2 लाख तक (80% तक)
6. विकास ग्राम संगठनः ग्राम संगठन की जरुरत एवं संकुल संगठन के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

उपर्युक्त/पूर्व वर्णित प्रक्रिया को संकुल संगठन स्तर पर उपलब्ध पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने एवं रोजगार के संसधानों को बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन के तौर पर स्पष्ट किया गया है। **संकुल स्तरीय संगठन अगर किसी ग्राम संगठन को किसी विशेष प्रायोजन से ज्यादा/कम राशि देना चाहे तो वह ऐसा कर सकती है।**

(ढ) पूर्व वर्णित कार्यो के आकलन हेतु प्रखंड परियोजना प्रबंधक संकुल संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक तारीख तय करेंगे एवं उस तारीख को विभिन्न पहलुओं पर ग्राम संगठनवार उपलब्धियों एवं कठिनाईयों का आकलन किया जाएगा।

(य) यह सुनिश्चित करना संकुल संगठन के प्रतिनिधियों एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि ग्राम संगठन को उपलब्ध करवायी गयी राशि का उपयोग कर दिया गया है। **किसी भी सूरत में ग्राम संगठन स्तर पर राशि बिना कारण नहीं पड़ी रहनी चाहिए।**

(र) **ऐसे प्रखंड जहाँ संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है परंतु विभिन्न ग्राम संगठनों में ऋण वापसी की रकम ग्राम संगठन स्तर पर आकर रुकी हुई है तथा पूंजी का प्रवाह अवरुद्ध है वहॉ पर भी पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने हेतु कार्य किया जाना अति आवश्यक है।** संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधको को निदेशित है कि वे सभी ग्राम संगठन के प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों (सामुदायिक संगठक सहित) के साथ बैठक करेंगे तथा सदस्यों को उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी करने का आह्वान करेंगे। ग्राम संगठन स्तर पर किसी तरह का मानदेय देय नहीं होगा।

2/5/15

स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन से सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में

अध्यक्ष, ... ग्राम संगठन

ग्रामः..... प्रखंडः..... जिलाः.....

विषय : समूह के सदस्यों की जरुरतों को पूरा करने हेतु आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सभी सदस्यों से प्राप्त ऋण के आवेदन एवं उनके द्वारा पूर्व में ऋण प्राप्ति एवं भुगतान को देखते हुए अपेक्षित पुनरावलोकन कर निम्न प्रकार से सदस्यवार राशि की मांग की जा रही हैः-

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पूर्व मे बकाया ऋण	सदस्य की मांग (राशि)	ऋण का उद्देश्य	समूह द्वारा पारित (राशि)	अभ्युक्ति
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
कुल राशि						

अतः निवेदन है कि स्वयं सहायता समूह (नाम....., ग्राम....., प्रखंड.....) को उपर्युक्त राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण की राशि के रुप में उपलब्ध करायी जाय। इस रकम को ..... माह में लौटाने का वचन देते हैं।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर सचिव का हस्ताक्षर

दिनांकः

ग्राम संगठन द्वारा CLF (संकुल स्तरीय संगठन) से सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में

अध्यक्ष, ... संकुल स्तरीय संगठन

ग्रामः..... प्रखंडः..... जिलाः.....

विषय : ग्राम संगठन के सदस्य समूहों की जरुरतों को पूरा करने हेतु आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सभी सदस्य समूहों से प्राप्त ऋण के आवेदन एवं उनके द्वारा पूर्व में ऋण प्राप्ति एवं भुगतान को देखते हुए अपेक्षित पुनरावलोकन कर निम्न प्रकार से समूहवार राशि की मांग की जा रही हैः-

क० संख्या	सदस्य समूह का नाम	पूर्व में बकाया ऋण	सदस्य समूह की मॉग (राशि)	ग्राम संगठन द्वारा पारित (राशि)	अभ्युक्ति
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
कुल राशि					

मांग पत्र के साथ ग्राम संगठन की बैठक संख्या ..... दिनांक ..... का प्रतिवेदन भी संलग्न किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम संगठन (नाम....., ग्राम....., प्रखंड.....) को उपर्युक्त राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण की राशि के रुप में उपलब्ध करायी जाय। इस रकम को ..... माह में लौटाने का वचन देते हैं।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर सचिव का हस्ताक्षर

दिनांकः